22. *Mizoram*

1. Aizwal
2. Lunglez

23. *Dadra & Nagar Haveli*

1. Dadra & Nagar Haveli

TOTAL NUMBER OF "NO INDUSTRY DISTRICTS" - 93

Setting up of ancillary industries of Maruti Udyog Ltd. in Uttar Pradesh

752. KUMARI ALIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to set up ancillary industries of the Maruti Udyog Ltd. in Uttar Pradesh;

(b) if so, what are the places selected for this purpose;

(c) whether any site has been located in Faizabad district in Uttar Pradesh, and if so, what are the details thereof; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) Presently there is no such proposal under consideration.

(b) to (d) Do not arise.

आयुर्वेदिक और चिकित्सा कालेजों में शल्य प्रशिक्षण का भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा विरोध

753. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अप्रैल, 1990 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "आई०एम०सी० हैज नो राइट टु अपोज फैसिलिटीज" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने कुछ राज्यों में आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक कॉलेजों में आधुनिक शल्य प्रशिक्षण बंद करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के इस प्रशिक्षण विरोधी रवैये के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार चिकित्सा पद्धति के सुधार एवं विकास के मार्ग में आए इस अवरोध को दूर करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक कालेजों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्रमशः केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् और भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विनियमित किए जाते है। सामान्यतः इस मंत्रालय की ऐसे मामलों में कोई भूमिका नहीं होती। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने सूचित किया है कि भारतीय चिकित्सा संघ, केरल राज्य शाखा ने यह बात उनके ध्यान में लाई थी कि केरल राज्य सरकार ने आयुर्वेद और होम्योपैथी के अध्यापकों के लिए एम०एस० (शल्य चिकित्सा) की सीटों के आरक्षण के आदेश जारी किए थे।

भारतीय चिकित्सा परिषद् ने यह भी बताया है कि यह बात आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को अन्य चिकित्सा पद्धतियों में मिलाने के विरूद्ध थी। इस परिषद् ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के बारे में अपनी अनिवार्य सिफारिशों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में किसी आरक्षण को निर्धारित नहीं किया था। अतः इस परिषद् ने राज्य सरकार से विभिन्न चिकित्सा

पद्धतियों को मिलाने से रोकने का अनुरोध किया था। तथापि विभिन्न पद्धतियों में सहयोग की बात पर अनुसंधान स्तर पर विचार किया जा सकता है।

चीनी के उपयोग को कम करना

754. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जैनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है कि चीनी के उपयोग को कम किया जाए ;

(ख) यदि हा, तो उक्त प्रस्ताव में अंतर्विष्ट विस्तृत जानकारी क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव में उल्लिखित आशंका की स्वयं कोई जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान): (क) भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सर्विस डाक्टरों के साथ हुये समझौते का कार्यान्वयन

755. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्वाइंट कांउसिल आफ सर्विस डाक्टर्स आर-गेनाइजेशन से हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उसने अगस्त, 1989 में सरकार के साथ हुये समझौते का कार्यान्वित न किये जाने के संबंध में अपनी नाराजगी प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या-क्या हैं ; और

(ग) सरकार सर्विस डाक्टरों से टकराव से बचने के लिये क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सेवारत डाक्टर संघों की संयुक्त कार्रवाई परिषद का गठन मुख्य रूप से 1-10-1987 से प्रोन्नतियां देने, वर्तमान पदों के अलावा 134 सुपर टाइम ग्रेड पद बनाने, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त पद बनाने, वाहन भत्ता देने पर से शर्तें हटाने, उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में परिवर्तन करने तथा सरकारी आवास के लिये पात्रता निश्चित करने हेतु प्रैक्टिसबन्दी भत्ते को गिनने के लिये किया गया था।

सभी स्तरों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की कुल संख्या को 134 तक बढ़ाने का कोई इरादा/समझौता नहीं हुआ है। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के 134 अतिरिक्त पदों का सृजन केवल उनका दर्जा बढ़ा कर किया जाना था। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन 21-8-1989 के समझौता ज्ञापन का एक भाग है। वाहन भत्ता देने संबंधी असुविधाजनक शर्तें हटा ली गई हैं। 21-8-1989 के समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की तारीख अर्थात् 1-10-1987, वाहन भत्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिये स्नातकोत्तर भत्ता, आकस्मिकता भत्ता और प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता जैसे वित्तीय लाभ लागू होने की तारीख है। प्रोन्नतियां भूतलक्षी प्रभाव से दी जानी हैं। यह निर्णय किया गया है कि सामान्य पूल आवास आवंटित करने के लिये पात्रता निश्चित करने के लिये प्रैक्टिस-बन्दी भत्ते को नहीं गिनाजायेगा। तथापि यह 21-8-1989 के समझौता ज्ञापन का भाग नहीं हैं। सेवारत डाक्टर संघों की संयुक्त कार्रवाई समिति की इच्छा के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर दिया गया है।